MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Look, you are senior Members of the House. Please do not. ...*(Interruptions)*... Questions cannot be confined to Members from specific States. That is not the practice.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the supplementaries must be confined to the main Question. The issue is that of Kudankulam. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I am requesting you to allow me to put a question.

MR. CHAIRMAN: Mr. Raja...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the main question is about Kudankulam and Members from Tamil Nadu should be allowed.

SHRI D. RAJA: Sir, after the Fukushima accident...

MR. CHAIRMAN: Please allow Mr. Kalita to ask the question. ...*(Interruptions)*... Please. Let him ask the question. ...*(Interruptions)*... If you want a discussion on this issue, you know the procedure. ...*(Interruptions)*... If you want a discussion, there is a procedure for it. Please. ...*(Interruptions)*... Please, Mrs. Stanley.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, post the Fukushima incident, the situation in Japan has changed. The hon. Minister has mentioned about Germany buying power from plants in France. But I would like to know whether the Minister is aware that as many as ten nuclear power plants in Japan have been closed. They are giving more importance to renewable energy. Is the Minister aware of that?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I would like to tell the hon. Member that most of the existing nuclear power plants in Japan are running. The hon. Member has mentioned about the ten nuclear power plants that have been closed. I do not have any knowledge about it. But most of the nuclear power plants in Japan are operating and they are also upgrading the safety measures, especially after the Fukushima accident. That is a fact. But the fact that ten nuclear power plants have been closed is not in my knowledge.

जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि का वितरण

*222. **श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल**: क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन संबंधी मानदण्ड क्या-क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए, इस राज्य को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर इन योजनओं संबंधी मानदण्डों का निर्धारण करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पंचायती राज मंत्रालय देश के 250 पिछड़े जिलों में क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को कार्यान्वित करता है। बीआरजीएफ के अन्तर्गत पंचायतों को राज्य सरकारों के माध्यम से संवेदनशील एवं अन्य अवसंरचनात्मक अंतरालों को पाटने के लिए अबाध्य निधियां प्रदान की जाती है। गांवों के विकास के लिए जो दूसरी योजनाएं चलायी जा रही हैं उनके कार्यान्वयन में अन्यों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा पेय जल आपूर्ति विभाग भी शामिल हैं। विभिन्न स्तर पर बीआरजीएफ अनुदानों के वितरण के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाता है।

क्षमता निर्माण (सीबी) एवं विकास अनुदान (डीजी) घटकों के मध्य वितरण:

मंत्रालय प्रत्येक बीआरजीएफ जिले को प्रति जिला 1 करोड़ रुपए की दर से 27 राज्यों को क्षमता निर्माण अनुदान प्रदान करता है जो कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आता है। वार्षिक बीआरजीएफ आबंटन की शेष राशि विकास अनुदान घटक के अंतर्गत उपलब्ध है।

जिलों के मध्य विकास अनुदान (डीजी) का वितरण:

मंत्रालय निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर विकास अनुदान घटक के अंतर्गत 250 जिलों में से प्रत्येक की वार्षिक हकदारी अधिसूचित करता है।

(i) प्रत्येक जिला 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की निश्चित मूल राशि प्राप्त करेगा।

(ii) योजना के अंतर्गत शेष आबंटन का 50 प्रतिशत राज्य के सभी पिछड़े जिलों की कुल जनसंख्या में उस जिले की जनसंख्या के अंश के आधार पर आबंटित किया जाता है।

(iii) राज्य के सभी पिछड़े जिलों के कुल क्षेत्रफल में उस जिले के क्षेत्रफल के अंश के आधार पर शेष 50 प्रतिशत का वितरण किया जाता है।

पंचायतों के मध्य विकास अनुदानों (डीजी) का वितरण तथा जिलों में यूएलबी:

प्रत्येक राज्य को प्रत्येक पंचायत तथा यूएलबी को बीआरजीएफ निधियों के आबंटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक फार्मूले को दर्शाना होगा। मानक फार्मूले में इन पर विचार किया जाना चाहिए:-

(i) प्रत्येक स्थानीय स्वशासन संस्था श्रेणी (पंचायत अथवा नगर पालिका) का जिले के अन्तर्गत अंश,

(ii) प्रत्येक श्रेणी के लिए किए गए संपूर्ण आबंटन में प्रत्येक पंचायत अथवा संबंधित नगर पालिका के पारस्परिक अंश को शासित करने वाले मानक।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से भी महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित करता है:- नामतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)/ राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन अभियान (एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), समेकित जलाशय प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)। इन कार्यक्रमों में से एसजीएसवाई/एनआरएलएम तथा आईएवाई आबंटन आधारित योजनाएं हैं जबकि अन्य योजनाएं मांग/परियोजना आधारित हैं तथा इनके लिए किसी भी राज्य को आबंटन नहीं किया जाता है। एसजीएसवाई तथा आईएवाई के अंतर्गत राज्यों को आबंटन संबंधित कार्यक्रमों के लिए भारत के योजना आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः

एसजीएसवाई

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत निधियां संबंधित राज्यों में दरिद्रता अनुपात के आधार पर आबंटित की जाती है।

आईएवाई

राज्यों को आवंटन करते हुए 25 प्रतिशत महत्व दरिद्रता अनुपात को तथा 75 प्रतिशत महत्व संबंधित राज्यों में घरों की कमी को दिया जाता है।

एसजीएसवाई तथा आईएवाई दोनों योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे वाले ग्रामीण घरों के लिए है।

एमजीएनआरईजीए

अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक घर जहां का युवा सदस्य अकुशल हस्त कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रूप से स्वयं को प्रस्तुत करता है, को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों की गारंटीड निर्वाह रोजगार प्रदान करने के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन सुरक्षा प्रदान करता है। एमजीएनआरईजीए उन जिलों को छोड़कर जहां शतप्रतिशत शहरी जनसंख्या है, संपूर्ण देश को कवर करता है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

साधनों का आबंटन निम्नलिखित पर निर्भर करेगा:- जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार करना तथा उनका मूल्यांकन; राज्य अंश के संबंध में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता; नियोजन मूल्यांकन एवं निधि प्रवाह तंत्र शिक्षा के विकेन्द्रीत प्रबंधन को सुकर बनाने के लिए राज्यों में संस्थागत सुधार तथा आरटीआई

आवश्यकताओं के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणता के संबंध में पर्यवेक्षक दलों की रिपोर्टें तथा विशिष्ट वर्ष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों का वास्तविक आबंटन इन सब पहलुओं पर निर्भर करेगा। यह संभव है कि अपर्याप्त अवसंरचना वाले जिलों को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। तथापि, निधियों का आबंटन निष्पादन से भी संबद्ध होगा। यदि एक शैक्षिक रूप से पिछड़ा जिला आवश्यक रूप से संसाधनों का उपयोग नहीं करता है तो यह संभव है कि उसे प्राथमिकता देना जारी नहीं रहे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम)

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश भर में ग्रामीण जनसंख्या को, 18 राज्यों पर विशेष ध्यान के साथ, जहां कमजोर जनस्वास्य सूचक तथा/अथवा कमजोर अवसंरचना है, प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है।

- ये 18 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश है।

  इनका लक्ष्य शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) तथा मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) कम करना; उन स्वास्थ्य सेवाओं तथा व्यापक पहुंच जैसेः- महिलाओं का स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, मल व्ययन एवं साफ-सफाई, टीकाकरण, एवं पोषण है।

  अभियान की परिकल्पना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के वर्तमान कार्याक्रमों को समाहित करते हुए छत्र कार्यक्रम के रूप में की गई है जिसमें आरसीएचआईआई, मलेरिया, टीबी, कालाजार, फिलेरिया, अंधापन एवं आयोडीन की कमी के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा समेकित रोग जांच कार्यक्रम शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय राज्यों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना, ग्रामीण क्षेत्रों को पेय जल प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) चला रहा है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निधियों के आबंटन की प्रक्रिया निम्नलिखित विवरण में दी गई हैः-

क्रम सं.	**प्रक्रिया**	**महत्व (प्रतिशत में)**
1	2	3
1.	ग्रामीण जनसंख्या	40
2.	ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	10

1	2	3
3.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	40
4.	ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या	10
5.	कुल	100

(ख) से (घ) बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के विषय पर योजना आयोग द्वारा एक अंतर मंत्रालय कार्यदल (आईएमटीजी) का गठन वर्ष 2005 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर बीआरजीएफ जिलों का चयन किया गया था जिसमें कार्यक्रम के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश के 34 जिले भी शामिल हैं। उपर्युक्त उल्लिखित बीआरजीएफ के अंतर्गत निधियों के जिला-वार आबंटन के मानक उत्तर प्रदेश पर भी लागू होते हैं। अतः आबंटन करते हुए उत्तर प्रदेश के बीआरजीएफ जिलों की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा गया है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के बारे में उल्लेख है कि चूंकि आबंटन प्रक्रिया में ग्रामीण जनसंख्या घटक और क्षेत्र को महत्व दिया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश को पर्याप्त धन मिल रहा है।

Fund distribution as per population and area

†*222. SHRI NARESH CHANDRA AGRAWAL: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state:

(a) the norms for allocation of funds to the schemes being run by Central Government for the development of villages;

(b) whether it is a fact that a big State like Uttar Pradesh is not getting the full benefit of these schemes, considering its huge population and area;

(c) if so, whether Government would lay down the norms relating to these schemes on the basis of area and population; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Ministry of Panchayati Raj implements the Backward Regions Grant Fund (BRGF) in 250 backward districts of the country. Under the BRGF, untied funds are given to Panchayats

†Original notice of the question was received in Hindi.

through the State Governments to meet critical and other infrastructure gaps. Other schemes for the development of villages are implemented by the Ministry of Rural Development, Ministry of Health and Family Welfare, Department of School Education and Literacy and the Department of Drinking Water Supply among others. The norms for distribution of BRGF Grants at various levels are as follows:

Distribution between the Capacity Building (CB) and the Development Grant (DG) components:

The Ministry provides the CB Grants to the 27 States computed @Rs. 1 crore per BRGF district which totals to Rs. 250 crore per annum. The remaining amount of the annual BRGF allocation is available towards the DG component.

Distribution of the Development Grants (DG) between districts:

The Ministry notifies the annual entitlement of each of the 250 districts under the DG component based on the following formula:

(i) Every district will receive a fixed base amount of Rs. 10 crore per annum.

(ii) 50% of the balance allocation under the Scheme is allocated on the basis of the share of the population of the district in the total population of all backward districts.

(iii) The remaining 50% is distributed on the basis of the share of the area of the district in the total area of all backward districts.

Distribution of the Development Grants (DG) among the Panchavats and the ULBs within the districts:

Each State is required to indicate the normative formula that would be used for the allocation of BRGF funds to each Panchayat and ULB. The normative formula should consider:

(i) The share of each local self-government institution category (Panchayats or Municipalities) within the district,

(ii) Within the overall allocation made for each category, the norms governing the **inter-se** share of each Panchayat or Municipality concerned.

The Ministry of Rural development also implements through the State Government and UT Administrations the major schemes namely Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee

Act (MGNREGA), Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)/ National Rural Livelihood Mission (NRLM), Indira Awas Yojana (IAY), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), National Social Assistance Programme (NSAP), Integrated Watershed Management Programme (IWMP). Out of these programmes, the allocation based schemes are SGSY/ NRLM and IAY whereas other schemes are demand/ project based and allocation is not made to any of the States. The allocation to the States under SGSY and IAY is made as per the criteria approved by the Planning Commission of India for the respective programmes which are as under:

SGSY

The funds under Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY) are allocated on the basis of poverty ratio in the respective States.

IAY

The allocation to the States is made taking into account 25% weightage to poverty ratio and 75% to shortage of houses in the respective State.

Both the schemes i.e. SGSY and IAY are for the BPL rural households.

MGNREGA

The objective of the Act is to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. MGNREGA covers the entire country with the exception of districts that have a hundred percent urban population.

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

The allocation of resources will depend on the following: preparation of District Elementary Education Plans and their appraisal; commitment of the State government with regard to the State share; performance of the Planning, Appraisal and Fund Flow Mechanisms, institutional reforms in States to facilitate decentralized management of education and as per RTE requirements; reports of supervision teams regarding the quality of programme implementation; and availability of financial resources in a particular year. The actual allocation of resources will depend on all these factors. It is likely that districts with poor infrastructure will require more resources. However, the release will also be performance linked. If an educationally backward district does not utilize the resources in the manner intended, it is unlikely to continue to receive a priority.

National Rural Health Mission (NRHM)

- The National Rural Health Mission seeks to provide effective healthcare to rural population throughout the country with special focus on 18 states, which have weak public health indicators and/or weak infrastructure.
- These 18 States are Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttaranchal and Uttar Pradesh.

Its goals are reduction in Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Ratio (MMR) Universal access to public health services such as Women's health, child health, water, sanitation & hygiene, immunization, and Nutrition.

The Mission is conceived as an umbrella programme subsuming the existing programmes of health and family welfare, including the RCHII, National Disease Control Programmes for Malaria, TB, Kala Azar, Filaria, Blindness & Iodine Deficiency and Integrated Disease Surveillance Programme.

National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)

The Ministry of Drinking Water & Sanitation administers through the States the centrally sponsored scheme, National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) for providing financial and technical assistance to the States to supplement their efforts to provide drinking water to the rural areas. The criteria for allocation of funds under NRDWP is given in the Statement below.

Sl.No.	Criteria	Weightage (in %)
1.	Rural Population	40
2.	Rural SC and ST population	10
3.	States under Desert Development Programme (DDP), Drought Prone Area Programme, Hill Areas Development Programme, special category Hill States in terms of rural areas	40
4.	Rural population managing rural drinking water supply programme	10
	TOTAL :	100

(b) to (d) The BRGF districts including the 34 districts of Uttar Pradesh covered under the programme were selected on the basis of the report of the Inter-Ministry Task Group (IMTG) on Redressing Growing Regional Imbalances constituted by the Planning Commission in 2005. The norms for district-wise allocation of funds under the BRGF as specified above also apply to Uttar Pradesh. Therefore, the population and area of the BRGF districts in Uttar Pradesh are duly taken into account while making the allocations.

As regards NRDWP, since in the allocation criteria the component of rural population and area are given weightage, Uttar Pradesh is getting adequate funds under the programme.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पूरे देश के गांवों से जुड़ा हुआ है। अगर इसका जवाब ग्रामीण विकास मंत्री जी देते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। मेरा प्रश्न यह था कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गांव की जितनी योजनाएं हैं, उनके चयन का आधार क्या होता है और इन योजनाओं में पैसा आबंटित करने का आधार क्या होता है? क्या इसे जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा या नहीं?

मंत्री जी ने अपना जवाब बड़ा घुमा कर दिया है, सारी योजनाएं बताई हैं, लेकिन सीधा जवाब नहीं दिया कि इसका आधार क्या है। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि उत्तर भारत, जहां पर देश की 50% से ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा उपेक्षित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा कि बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 34 जिले किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में से 40 जिले छूट गए हैं, तो उत्तर भारत की क्या स्थिति होगी?

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांवों की जो आवश्यकता है, जैसे रोड, पानी, पक्के मकान, एजुकेशन, हेल्थ, बिजल, इन सबको पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है? चूंकि प्रधान मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, प्रधान मंत्री सड़क योजना में 200 की आबादी तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक इस योजना के अंतर्गत एक भी पैसा नहीं दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन सारे गांवों को इन चीज़ों से जोड़ने में कितने वर्ष लगेंगे?

दूसरा, जो मनरेगा है, जिस पर प्रतिवर्ष आप करीब 40,000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, उन मनरेगा से हर वर्ष कितना एसैट तैयार होगा। अगर नहीं तैयार होगा, तो क्या आप इसे बंद करने की कोई घोषणा करेंगे?

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, the hon. Member in his question had asked for the various schemes for which the Central Government is sending funds from the Centre. So, while the names of all these schemes have been mentioned, I would like to inform the hon. Member that

MNREGA and PMGSY are the schemes actually for which the funds go from the Ministry of Rural Development. As far as the Ministry of Panchayati Raj is concerned, we give funds only for the Backward Regions Grant Fund, BRGF and RSVY. As far as the BRGF grants are concerned, they are given to districts which have been identified as being backward. The hon. Member is right in saying that in UP, out of 70-odd districts, 34 have been identified as backward regions. This identification is done not by my Ministry. This is done by the Planning Commission. The Planning Commission does it on the basis of certain statistics and parameters which are sent to the Planning Commission, through the State Government, from the District Planning Committees, which they get from the districts. If the hon. Member likes, I can enumerate those economic parameters. It includes the preponderance of agricultural labour in the population, the level of agricultural wages, etc. I can send the entire list to the hon. Member. Out of the BRGF funds, we give it to every BRGF district equally. Half of it is given as development grant. One crore rupees is given for capacity building, i.e., for training of personnel, and the people who manage the PRIs. From the rest of the fund, 50 per cent is given on the basis of population, and 50 per cent is given geographically. So, as far as my Ministry is concerned, we only deal with these aspects. The rest of the schemes are actually dealt with by the Ministry of Rural Development. So, I don't have the figures and details of those schemes. It may be appropriate...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, इस प्रश्न से संबंधित मंत्रियों को यहां होना चाहिए था।

श्री सभापति: एक मिनट, ये जवाब दे रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन, ये जवाब को घुमा कर दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पहले आप सुन लीजिए, आपको जवाब मिल रहा है ...(**व्यवधान**)... आप जवाब सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... नरेश जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: वह कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री जवाब देंगे, योजना आयोग जवाब देगा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, पहले आप पूरा जवाब तो सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)... One minute, please.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Mr. Chairman, Sir, the question is addressed to me. These are the subjects related to the Ministry of Rural Development. They should have. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन्, हमने बीआरजीएफ के बारे में पूछा ही नहीं है ...(**व्यवधान**)... हमने बीआरजीएफ के बारे में पूछा ही नहीं है ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Then, why are you responding? ...*(Interruptions)*... Why have you accepted it? ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: जब यह प्रश्न इनसे संबंधित ही नहीं है तो यह जवाब क्यों दे रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The basic issue is, when he has accepted this question. ...*(Interruptions)*... As he has accepted it, he is bound to give the answer. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one minute. Let him finish. ...*(Interruptions)*... Venkaiaji, let him finish. ...*(Interruptions)*... First, let him finish.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापति जी, हमने बीआरजीएफ का प्रश्न किया ही नहीं है, हमने देश के सभी गांवों का प्रश्न किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का विशेष उल्लेख किया है। हमने खाली बीआरजीएफ की बात नहीं की है, तो हमें जवाब ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप पहले तो जवाब सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Mr. Chairman, Sir, I accepted the question because there are two components -- BRGF and RSPY -- which pertains to my Ministry. I have got the details and particulars relating to these two components. The other matters do not relate to my Ministry. Sir, Sarva Siksha Abhiyan relating to the Ministry of HRD...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, इन्होंने फिर से वही बोलना शुरू कर दिया। ...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय मंत्री जी को भी इसकी तैयारी करके आना चाहिए था। ...(**व्यवधान**)... जब इनको जानकारी नहीं है, तो फिर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं ...(**व्यवधान**)... सर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हुए हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, in my reply, I have only stated the names of the schemes which the Central Government implements in villages. But, my Ministry does not deal with them.

As far as UP is concerned...

श्री ब्रजेश पाठक: सर, ये फिर से वही आजाद दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: तो फिर इसका जवाब क्यों दे रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... जब यह इनके मंत्रालय से संबंधित ही नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: जब वह इनसे संबंधित ही नहीं है तो फिर ...(**व्यवधान**)... सर, आप हमें संरक्षण दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सतीश जी, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: सर, हमें संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप ज़रा बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, तब फिर मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी को नहीं देना चाहिए था, बल्कि ग्रामीण विकास मंत्री को देना चाहिए था। कोई मंत्री किसी प्रश्न का जवाब दे और फिर यह कहे कि यह मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर हम लोगों को संरक्षण कैसे मिलेगा? श्रीमन् सत्यता सामने है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है। आपने अपनी बात कह ली। अब ज़रा अपनी सीट पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, मैं यह चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी इसका जवाब दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Sir, I have given all the details in my answer relate only to BRGF and RSPY. I have not given any details relating to any of the other schemes for which funds are disbursed by the other Ministries. So, let me also mention that, as far as UP is concerned, we have given more funds under the BRGF to UP. Sir, 34 districts in UP have got more funds than many other States.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, मैंने BRGF पूछा ही नहीं। ...(**व्यवधान**)... मैंने BRGF पूछा ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... ये जबरदस्ती कैसे जवाब देंगे? ...(**व्यवधान**)... मैं BRGF पूछ ही नहीं रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मेरे प्रश्न में कहीं BRGF नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए, माननीय सभापति जी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Look, one minute please. ...*(Interruptions)*... Please one minute. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, मैंने BRGF पर प्रश्न ही नहीं किया है। मैंने देश के गांवों पर प्रश्न किया है। मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए। यह बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न है। प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए संचालित की जा रही योजना के लिए धनराशि के आबंटन संबंधी मानदंड क्या-क्या हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। मैंने उसमें आगे यह पूछा कि यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात सुन ली गई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। हम क्या करें? ...(**व्यवधान**)... आप इसको postpone कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: सर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Why are we wasting time in this discussion? ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, आप इसको postpone कर दीजिए। माननीय मंत्री जी को इसका जवाब मालूम नहीं है। आप इसको postpone कर दीजिए और अगली बार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इसका जवाब दे दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, ये तैयारी से आएं। ...(**व्यवधान**)... दोबारा तैयारी करके बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह ऐसे नहीं होगा, सतीश जी। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... Please one minute. ...*(Interruptions)*... One minute please. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: सर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक मिनट, आप ज़रा बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... If the answer given is unsatisfactory, then the Members have the right to point that out and raise queries through appropriate procedures. That is a well established practice and if you find an answer is unsatisfactory, please raise it appropriately. Thank you.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, ...(**व्यवधान**)... नियमावली में बड़ा स्पष्ट है कि अगर किसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है तो ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir that is not the issue. The issue is, as you have rightly said, that if the Members are not satisfied, we can give a notice for an appropriate discussion. But, Sir, the issue is, the hon. Minister is saying that these things do not come under the purview of his Ministry and he does not have information. Then, my question is: Why has he accepted this question at all? Why the Secretariat has sent it to him? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is not the point...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: नहीं तो फिर ग्रामीण विकास मंत्री जी इसका जवाब दें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is the question relating to the Ministry of Rural Development ...*(Interruptions)*... Who is answerable to it? ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, यह बहुत important question है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Satishji, please, let us get on with the Question Hour ...*(Interruptions)*... There are other questions ...*(Interruptions)*... One minute, please. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, यह बहुत important question है। ...(**व्यवधान**)... इसी question पर पूरी राजनीति ये लोग करते हैं ...(**व्यवधान**)... और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री को संरक्षण देने के बजाए सदन के सदस्य को संरक्षण दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: मान्यवर, हमें संरक्षण मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Just one minute. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: सर, माननीय मंत्री जी को प्रोटेक्शन देने के बजाए सदस्य को प्रोटेक्शन दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: नरेश जी, आपका specific point क्या है? ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, please postpone the question and direct the Rural Development Minister or the other concerned Ministry to give reply to this question ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, आप इस question को postpone कर दीजिए, आपको अधिकार है। यह नियमावली में दिया हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: All right. It is fair enough, अब आप बैठ जाइए। We go on to the next question. ...*(Interruptions)*...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, इसको कल के लिए कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You have made the proposal. ...*(Interruptions)*... It is postponed. It would be listed for another day. That is all. ...*(Interruptions)*... अब आप बैठ जाइए। ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: In this Session?

MR. CHAIRMAN: Yes, in this Session. Now, Question

DGCA Report on flying schools

*223. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has found fault with almost all the flying schools in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action that has been taken against these flying schools?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI VAYALAR RAVI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes Sir. Directorate General of Civil Aviation (DGCA) audits are carried out with the primary aim to ensure that the flying school function as per the existing guidelines and have facilities and systems in place for conduct of flying, training and maintenance of aircraft. During the audit following deficiencies were found:

(i) Non-up keep of documents.

(ii) Dossiers are not being maintained properly.

(iii) Insufficient ground instructors.

(iv) Fuel Mismanagement, false entries in authorization books.

(v) Contingency plan not available.